महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में वृद्धि

2083. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री रणजीत सिंह:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं को उपलब्ध संवैधानिक तथा कानूनी रक्षोपायों की सरकार द्वारा निगरानी किए जाने के बावजूद भी पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) देश के विभिन्न भागों में पिछले पांच वर्षों के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अपराधों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (ग) महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों सहित, अपराधों को दायर करने, उनकी छानबीन करने, उनका पता लगाने और रोकथाम करने का दायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों का है। मामलों को दर्ज करने, उनकी जांच करने, तथा उन्हें न्यायालय में दायर करने की कार्यवाही करना भी उन्हीं का काम है। इस श्रेणी के अपराधों की रोकथाम करना भी इनके अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को वर्ष 1984 और 1986 में कानूनों को अधिक कड़ा बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में, केवल दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों से कड़ाई से निपटने के लिए ही नहीं बल्कि 196 विवाहित महिलाओं के साथ निर्मम व्यवहार के मामलों से भी निपटने के लिए, संशोधन किया गया।

सरकार द्वारा तथा कई महिला स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों से प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। दहेज की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ इलैक्ट्रानिक मीडिया के कार्यक्रमों के माध्यम से दहेज की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनसंचार प्रचार का भी आयोजन किया जा रहा है।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को महिलाओं पर होने वाले अपराधों से संबंधित विधायन को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

पिछले 5 वर्षों की अवधि में महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों के राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र-वार आंकड़ों से संबंधित विवरण संलग्न है। (**देखिये** परिशिष्ट 162, अनुपत्र सं० 46)

भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ

2084. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और कश्मीर से सटी पाक सीमा पर 1 जनवरी, 1991 से घुसपैठ की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ की कितनी घटनाएं हुई;

(ग) मारे गये जवानों तथा मारे गए और गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों की माह-वार संख्या कितनी है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान इस सीमावर्ती क्षेत्र की चौकसी पर वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पड़ोसी निगरानी योजना के अधीन प्रताड़ित किया जाना

2085. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई "पड़ोसी निगरानी योजना" के अधीन पड़ोस की निगरानी रखने के लिए व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सब्जी मंडी डिवीजन के अधीन प्रताप नगर पुलिस स्टेशन द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस तरह की प्रताड़ना को रोकने के लिए और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दिल्ली पुलिस को कोई अनुदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि "पड़ोसी निगरानी योजना" के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि मकान नं० 518/2, नई बस्ती, किशनगंज दिल्ली के निवासी श्री ओ०पी० शर्मा नामक एक व्यक्ति से जो कि एक सरकारी कर्मचारी है अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच पड़ताल के बाद उनकी शिकायतों को सही